30-12-2022 पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थीनीगण उपस्थित। प्रार्थीनीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थीनीगण वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दौहराते हुए निवेदन किया कि कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी ज़िला बाड़मेर में खसरा नम्बर 469 रकबा 6.4154 हेक्टयर व खसरा नम्बर 676 रकबा 2.3218 हेक्टयर व मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी में खसरा नम्बर 409 रकबा 4.3929 हेक्टयर आया हुआ है। कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के दादा जोगाराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी तथा जोगाराम के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 225, 240 पारित किया गया जो नामान्तरकरण अकेले विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पारित किया गया, क्योंकि प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सिणधरी

213/2022

संख्या 1 के पिता मोमताराम का देहान्त अपने पिता जोगा से पूर्व हो चुका था जिस कारण जोगा की फौतगी का नामान्तरकरण पौत्र व पौत्रियों के नाम से भरा जाना उचित था क्योंकि प्रार्थीनीगण भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार मोमताराम की जायंदा पुत्रीयां व जोगा की विधिक वारिश होने के कारण प्रार्थीनीगण को भी विप्रार्थी संख्या 1 के साथ जोगा की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण संख्या 225, 240 के राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में अंकित करना था परन्तु प्रार्थीनीगण ग्रामीण महिला व अनपढ होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा प्रार्थीनीगण को अपने पिता व दादा की सम्पति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया जबकि प्रार्थीनीगण मोमताराम की विधिक जायन्दा पुत्रीयां होने व जोगा की पौत्रियों होने के कारण जोगा की खातेदारी की भूमि में अपनी हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारिणी है। कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त व सामलाती रूप से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीनीगण स्व. मोमताराम की जायदा पुत्रीयां व जोगा की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनीगण का 1/3 – 1/3 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बंट में आता है तथा इसी अनुसार प्रार्थीनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनीगण स्व. मोमताराम की जायंदा पुत्रीयां व जोगा की विधिक उतराधिकारी है तथा प्रार्थीनीगण का स्व. जोगा की पैतृक सम्पति में विप्रार्थी संख्या 1 के बराबर–बराबर हक व हिस्सा है तथा प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 स्व. जोगा के विधिक वारिशान है तथा तथा मौके पर अपने अपने हिस्से में रहवासी ढाणिया आदि बने हुऐ है। स्व. जोगा के खातेदारी की भूमि मौजा गादेसरा में खसरा नम्बर 23 रकबा 7.1354 हेक्टयर की आई हुई है जिसमें जोगा की मृत्यु पर पारित नामान्तरकरण संख्या 82 में प्रार्थीनीगण का नाम विप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] के वारिशान के रूप में अंकित किया गया था परन्तु कालान्तर [illegible] प्रार्थीनीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त [illegible] प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी सख्या 1 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीनीगण का स्व. जोगा की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण में विप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर प्रार्थीनीगण का नाम अंकित नहीं करवाया गया विप्रार्थी संख्या 1 लगातार प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप कर रहा है तथा प्रार्थीनीगण को उनके कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

काश्त से बेंदखल करने की धमकियां दे रहा है जबकि प्रार्थीनीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा भूमि हक व हिस्सा उत्पन्न होने तथा स्व. जोगा की विधिक वारिशान होने से विप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त व हिस्से में दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है साथ ही विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि का अन्यत्र अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कर दिया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य मे मुद्रा के रूप में सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में ताफैसला मूल वाद प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 469 रकबा 6.4154 हेक्टयर व खसरा नम्बर 676 रकबा 2.3218 हेक्टयर व मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी में खसरा नम्बर 409 रकबा 4. 3929 हेक्टयर के संबंध में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का बेचान, रहन आदि नही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करने के आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष मे एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

हमनें प्रार्थीनी वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण किया, जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विवादित आराजी में प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 1 के साथ सामुहिक रूप से 1/3–1/3 हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थिनीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से उनके एक मात्र अभिकथनों के आधार पर [illegible] प्रकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अदालत [illegible] प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:50 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

संख्या 1 के नाम से पारित किया ...